कॉर्पोरेट

पीपुल्स समाचार 09 भोपाल, बुधवार 18 दिसंबर 2024 www.peoplessamachar.in

खाने का सामान पहुंचाने की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। इस समय देश में 77 लाख डिलिवरी कर्मचारी हैं और 2030 तक संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
–नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

सेंसेक्स 80,684 (1,064) | निफ्टी 24,336 (332) | डॉलर 1 $ = 84.91 (0.00) | सोना 79,300 (950) | चांदी टंच 91,500 (1,000)

बिजनेस न्यूज

शेयर बाजार में गिरावट से 4.92 लाख करोड़ रुपए डूबे

नई दिल्ली। शेयर बाजार में भारी बिकवाली के बीच मंगलवार को निवेशकों की संपत्ति 4.92 लाख करोड़ रुपए घट गई। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,064.12 अंक या 1.30 प्रतिशत गिरकर 80,684.45 अंक पर बंद हुआ। इससे बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4,92,644.06 करोड़ रुपए घटकर 4,55,13,913.24 करोड़ रुपए रह गया। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक ज्यादा नुकसान में रहे।

मेटा पर डेटा उल्लंघन के लिए 25.1 करोड़ यूरो का जुर्माना

लंदन। यूरोपीय संघ की गोपनीयता निगरानी संस्थाओं ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक का स्वामित्व रखने वाली कंपनी मेटा पर 25.1 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया। फेसबुक पर 2018 के डेटा उल्लंघन की जांच के बाद यह जुर्माना लगाया गया, जिससे लाखों खाते प्रभावित हुए थे। आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने उल्लंघन की अपनी जांच पूरी करने के बाद जुर्माना लगाया। इस उल्लंघन में हैकर्स ने मंच के कोड में बग का फायदा उठाकर उपयोगकर्ता खातों तक पहुंच हासिल की। यूरोपीय संघ में सख्त गोपनीयता व्यवस्था के तहत आयरलैंड का आयोग मेटा के लिए प्रमुख गोपनीयता नियामक है।

आईटीसी लि. से एक जनवरी से अलग हो जाएगा आईटीसी होटल्स लिमिटेड

जून में 99.6 प्रतिशत शेयरहोल्डर्स ने पक्ष में किया था वोट

एजेंसी • मुंबई
editor@peoplessamachar.co.in

सिगरेट से लेकर साबुन जैसी डेली यूज प्रोडक्ट्स बनाने वाली आईटीसी कंपनी आईटीसी लिमिटेड से उसके होटल बिजनेस का डिमर्जर फाइनल हो गया है। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। कंपनी ने मंगलवार को एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की कोलकाता बेंच ने अक्टूबर 2024 में आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी होटल्स लिमिटेड और उनके शेयरधारकों के बीच इस डील को मंजूरी दे दी थी। इसी साल जून में आईटीसी लिमिटेड के शेयरहोल्डर्स ने डीमर्जर के फैसले पर वोटिंग की थी। तब 99.6 फीसदी शेयरहोल्डर्स ने डीमर्जर के पक्ष में मतदान किया, जबकि महज 0.4% ने इसके खिलाफ मतदान किया।

मर्जर के बाद होटल में आईटीसी 40% हिस्सेदारी रखेगी: डीमर्जर के बाद होटल बिजनेस में आईटीसी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी। बाकी 60 प्रतिशत हिस्सेदारी शेयरहोल्डर्स के पास होगी। आईटीसी ने पिछले साल जुलाई में डीमर्जर योजना की घोषणा की थी और बाद में कहा था कि नई यूनिट को 15 महीनों में लिस्टेड कर दिया जाएगा।

अलग यूनिट के रूप में मार्केट में कम्पीट करेगी आईटीसी होटल्स

आईटीसी होटल्स एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में टाटा के स्वामित्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी और ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करेगी। इंडियन होटल्स ताज होटल्स को ऑपरेट करती है। वहीं ईआईएच ओबेरॉय ब्रांड के होटलों का मैनेजमेंट करती है।

1910 में स्थापित हुई थी आईटीसी

आईटीसी एफएमसीजी पेपर, पैकेजिंग, एग्री-बिजनेस, होटल और आईटी में प्रेजेंस के साथ एक लीडिंग मल्टी-बिजनेस इंडियन एंटरप्राइजेज है। संजीव पुरी इसके चेयरमैन और एमडी हैं। इस कंपनी को 1910 में स्थापित किया गया था, तब इस कंपनी का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था। फिर 1970 में इसका नाम बदलकर इंडिया टोबैको कंपनी कर दिया। इसके बाद 1974 में इसका नाम आईटीसी लि. हो गया।

भारती ग्लोबल के बीटी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी

लंदन। ब्रिटेन सरकार ने भारती ग्लोबल के बीटी में 24.5% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यह फैसला अधिग्रहण प्रक्रिया का विस्तृत राष्ट्रीय सुरक्षा मूल्यांकन करने के बाद किया गया। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी और ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी ने अगस्त में सौदे की घोषणा की थी।

Van Heusen ने लॉन्च किया नया कलेक्शन 'वीएच ईवनिंग'

कंपनी ने मार्केट में उतारा नया सब-ब्रांड

एजेंसी • बेंगलुरु
editor@peoplessamachar.co.in

फॉर्मल और वेडिंग वियर के लिए प्रसिद्ध Van Heusen ने अपने नए सब-ब्रांड 'वीएच ईवनिंग' के लॉन्च के साथ ईवनिंगवियर की दुनिया में कदम रखा है।

Van Heusen आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का एक जाना-माना ब्रांड है। अभय बहुगुणे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने बताया कि यह नई रेंज खास तौर से शाम को पहनने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए स्टाइलिश और खूबसूरत कैजुअल्स शामिल हैं। वीएच ईवनिंग ने पारंपरिक ऑफिस वियर से हटकर शाम की जरूरतों के लिए नया और आधुनिक अंदाज पेश किया है। यह ब्रांड उनके लिए डिजाइन किया गया है, जो अपने कपड़ों में स्टाइल और आराम दोनों को प्राथमिकता देते हैं।

डीजीसीए ने संचालन मैनुअल के उल्लंघन पर अकासा एयर को जारी किया नोटिस

एजेंसी • मुंबई
editor@peoplessamachar.co.in

डीजीसीए ने अकासा एयर के संचालन मैनुअल से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन पर एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। अकासा एयर के प्रवक्ता ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कुछ तथ्यों का जिक्र करते हुए एयरलाइन की उड़ान संचालन टीम से स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया है। नियामक ने इस महीने अबतक एयरलाइन को कम से कम दो कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। एयरलाइन ने अगस्त, 2022 में उड़ान भरना शुरू किया था।

केप्री ग्लोबल ने नोएडा में नए ऑफिस के साथ अपने टेक फुटप्रिंट का विस्तार किया

एजेंसी • मुंबई
editor@peoplessamachar.co.in

देश की प्रमुख नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (केप्री लोन्स) ने मंगलवार को नोएडा में नई टेक्नोलॉजी ऑफिस का उद्घाटन किया। कंपनी के इस कदम से जाहिर होता है कि केप्री डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्राहकों को ध्यान में रखकर एवं टेक्नोलॉजी पर आधारित सॉल्यूशंस पेश करने के इरादे पर अटल है।

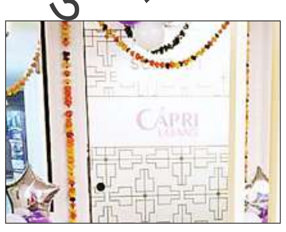

इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने पर ध्यान : मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि केप्री ग्लोबल के ऑफिस पहले से ही गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में मौजूद हैं और अब नोएडा का ऑफिस भी इसमें शामिल हो गया है, जो कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सफर में एक बड़ा कदम है। अत्याधुनिक सुविधा ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और फाइनेंशियल सर्विसेज को व्यवस्थित करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने पर ध्यान देगी। नोएडा केंद्र के मुख्य प्रोजेक्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में प्रगति शामिल होगी।

राजेश शर्मा ने कहा कि केप्री ग्लोबल में, हम हर फैसले में ग्राहकों को ध्यान में रखते हैं, जिसमें इनोवेशन की अहम भूमिका होती है। नोएडा में हमारे टेक्नोलॉजी ऑफिस की शुरुआत से यह जाहिर है कि, हम तेज, स्मार्ट और अधिक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को अपनाने के इरादे पर अटल हैं। यह पहल एक स्केलेबल डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है, जो हमारे ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती है।

ईडी ने बैंकों को लौटाई 22,280 करोड़ की संपत्ति

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बताया कि ईडी ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटाई है। साथ ही कहा कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लोकसभा में सीतारमण ने कहा कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है। वहीं, नीरव मोदी मामले में, 1,052.58 करोड़ की संपत्ति पीएनबी और निजी बैंकों को लौटाई गई है। मेहुल चोकसी मामले में 2,565.90 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है।

अप्रैल-नवंबर में परिधान निर्यात 11.4 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद इस वित्त वर्ष के पहले आठ माह (अप्रैल-नवंबर) के दौरान भारत का रेडिमेड परिधान निर्यात 11.4% बढ़कर 9.85 अरब डॉलर का हो गया।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) ने कहा कि बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के साथ निकट भविष्य में और अधिक संख्या में कारोबार भारत में स्थानांतरित हो जाएगा। एईपीसी के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने जानकारी देते हुए कहा, भारत की अंतर्निहित ताकत तथा केंद्र एवं राज्यों के मजबूत सहायक नीति ढांचे के साथ, भारत इसके लाभ को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। त्योहारी मौसम की मांग में तेजी को देखते हुए यह वृद्धि मेड-इन-इंडिया उत्पादों के लिए वैश्विक ब्रांड के बढ़ते भरोसे को भी दर्शाती है।

सेखरी ने खरीदारों से भारत आने और भारत टेक्स एक्सपो 2025 में भाग लेने की अपील की, जो भारत की संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक ही छत के नीचे देखने का एक बड़ा मंच है।

भारत में आक्रामक तरीके से निवेश जारी रखेगी सोनी

मुंबई। जापानी कंपनी सोनी दुनिया के सबसे अहम मीडिया और मनोरंजन बाजारों में शामिल भारत में आकर्षक सामग्री बनाने के लिए अपना आक्रामक निवेश जारी रखेगी। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के एमडी गौरव बनर्जी ने कहा कि कंपनी को जियो हॉटस्टार के साथ प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं है, बल्कि वह मनोरंजन करने के सर्वोत्तम तरीकों का पता लगाने के लिए मिलकर काम करने पर विचार कर रही है।

स्कोडा के वाहन नए साल से 3% तक महंगे होंगे

मुंबई। स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई कीमतें एक जनवरी से प्रभावी होंगी। स्कोडा ऑटो इंडिया ने मंगलवार को कहा कि कच्चे माल और परिचालन लागत में बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लेना पड़ा।

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
797/2, Shantikunj, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001
NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT,1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993

RC/527/2019 **PUNJAB NATIONAL BANK** **27.11.2024**
Versus
M/S SANTUSHTY PACKAGING INDUSTRIES

To,
(CD1) M/S SANTUSHTY PACKAGING INDUSTRIES
E-02/330, ARERA COLONY, BHOPAL (MP)-462001
(CD2) ASHISH TIWARI
E-02/330, ARERA COLONY, BHOPAL (MP)-462001
ALSO AT : PLOT NO.01, INDUSTRIAL AREA, ABDULLAPUR, PACHAMA, SEHORE (MP)
(CD3) RAJESHWARI TIWARI
E-02/330, ARERA COLONY, BHOPAL (MP)-462001
ALSO AT : PLOT NO.01, INDUSTRIAL AREA, ABDULLAPUR, PACHAMA, SEHORE (MP)
(CD4) SHRUTI SHARMA
H-08, FORTUNE ESTATE, PHASE-1, KOLAR ROAD, BHOPAL (MP)-462042
ALSO AT : PLOT NO.01, INDUSTRIAL AREA, ABDULLAPUR, PACHAMA, SEHORE (MP)
(CD4) PRITI TIWARI
F-07/32, FLAT NO.203, VIVEK APARTMENT, 3, ARERA COLONY, BHOPAL (MP)-462001
ALSO AT : PLOT NO.01, INDUSTRIAL AREA, ABDULLAPUR, PACHAMA, SEHORE (MP)

Whereas you the Santushty Packaging Industries was ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR who had issued the Recovery Certificate dated 02/08/2019 in OA/790/2018 to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Name of applicant. the sum of **Rs 2331380.54 (Rupees Twenty Three Lakhs Thirty One Thousands Three Hundred Eighty & Paise Fifty Four Only)** along with pendentellite and future interest @ 12% Simple Interest Yearly w.e.f. **25/06/2018** till realization and costs of **Rs 26000 (Rupees Twenty Six Thousands Only)** and whereas the said has not been paid. the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / Immoveable property.

2. You are hereby informed that the **10/01/2025 at 10.30 A.M.** has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances. charges. claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

Specification of property
M/s Santushti Packaging Industries at Plot No.01, Abdullapur Industrial Area, Near Overhead Water Tank, Pachama, Inside Bhopal-Sehore Road, PH. No.28, Tehsil-Sehore, District- Sehore (MP)
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **27-11-2024.**

SEAL
Recovery Officer
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

FORM NO.IV
[See Sub-rule (2A) of rule 5]
Summon under sub-section 19 of the Act, read with sub rule(2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993
BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT JABALPUR
H.No.797-II Shantikunj South Civil Lines Jabapur M.P.-482001

Date. ______________ **CASE NO. OA NO. 1358/2022**

Pujab National Bank **APPLICANT**
-VERSUS
M/s Prince Automobile and others **DEFENDANTS**

1.M/s Prince Automobiles
Through its Proprietor Smt. Rajmi SIngh W/o Shri Manoj Kumar Singh R/o Workshop No.5, Ratnagiri, Main Road,Opp. Ratnagiri Petrol Pump, Raisen Road, Bhopal
2. Smt. Rajni SIngh W/o Shri Manoj Kumar Singh
R/o H.No. A-220, First Floor Old Minal Residency J.K.Road, Bhopal (MP)-462023
3. Shri Manoj Singh @ Manoj Kumar Singh S/o Shiv Prasad Singh
2. Smt. Rajni SIngh W/o Shri Manoj Kumar Singh
R/o H.No. A-220, First Floor Old Minal Residency J.K.Road, Bhopal (MP)-462023

Whereas, OA. No. 1358/22 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 30/11/22
Whereas, this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 94,99,056.80 with expenses & future interest.
In accordance with sub-section(4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under:-
(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the Original Application.
(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, excepts in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal.
(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institution holding security interest over such assets.
You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar 07/04/2025 at 10.30 Am failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this 26th day of Nov. 2024.

SEAL
Registrar
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

न्यायालय तहसीलदार, तहसील- कोलार, जिला- भोपाल

प्रकरण क्रमांक 3883/अ-6/2024-25

:: उद्घोषणा पत्र ::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रितु मिश्रा आ. श्री राम प्रभाव मिश्रा, निवासी भोपाल (मप्र) म.प्र.भू. रा. सहिंता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP059702019A1006748 दिनांक 03.01.19 ग्राम कटारा प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 42, 43, 44, 45, 50, 53, 54, 56/2/5, 48/2, 55/1 भूखण्ड क्रमांक ए- 66 रकबा 51.47 वर्ग मीटर भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 03.01.2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17.12.2024 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील कोलार, जिला भोपाल

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
797/2, Shantikunj, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001
NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT,1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993

RC/229/2022 **PUNJAB NATIONAL BANK** **26.11.2024**
Versus
MOHD HANEEF CHOUHAN

To,
(CD1) MOHD HANNEF CHOUHAN
P-1, BHOPAL APARTMENT PURANI ADALAT KE SAMNE , SHAJAHANABAD, BHOPAL (MP)-462001
(CD2) RESHMA
P-1, BHOPAL APARTMENT PURANI ADALAT KE SAMNE , SHAJAHANABAD, BHOPAL (MP)-462001

Whereas you the was ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR who had issued the Recovery Certificate dated 28/12/2022 in OA/1031/2020 to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Name of applicant. the sum of **Rs 4610307 (Rupees Forty Six Lakhs Ten Thousands Three Hundred Seven Only)** along with pendentellite and future interest @ 9.50% w.e.f. **10/11/2020** till realization and costs of **Rs 49000 (Rupees Forty Nine Thousands Only)** and whereas the said has not been paid. the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / Immoveable property.

2. You are hereby informed that the **22/01/2025 at 10.30 A.M.** has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances. charges. claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

Specification of property
Flat No. 601, Block -C, Sixth Floor, Complex Coral Casa, Village- Raslakhedi, Ward No.76, Tehsil- Huzur, District- Bhopal (MP), Area admeasuring 106.25 Sq. Mtr, belonging to Mohd. Haneef Chouhan S/o Mohd.Rasheed Chouhan , 2, Flat No. 602, Block-C, Sixth Floor, Complex Coral Casa, Village-Raslakhedi, Ward No.76, Tehsil- Huzur, District- Bhopal (MP) , Area admeasuring 106.25 Sq. Mtr, elonging to Mohd. Haneef Chouhan S/o Mohd.Rasheed Chouhan
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **26-11-2024.**

SEAL
Recovery Officer
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
CIN: U67100TZ2014PTC020363 कार्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्केवर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम) मुम्बई-400028 **Email: rajesh.jumani@omkaraarc.com/zuber.khan@omkaraarc.com/pratik.rasal@omkaraarc.com**
Tel.: 022-69231111 अधिकृत ऑफिसर- **+91 86579 69231/+91 86556 68565.**

[परिशिष्ट - IV-A] [नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) का परंतुक देखें]
अचल संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के प्रावधान के साथ पठित।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई है, जिसका कब्जा ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (OARPL) के प्राधिकृत अधिकारी के पास है। इसके अलावा, OARPL (ओमकारा PS 06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (असाइनर बैंक) से दिनांक 25.06.2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से नीचे दिए गए संपूर्ण बकाया ऋणों को असाइनर बैंक से अंतर्निहित सुरक्षा के साथ प्राप्त कर लिया है। तदनुसार, OARPL ने बकाया राशि वसूलने और सुरक्षा को लागू करने के लिए असाइनर बैंक और ईएम की जगह ली है। OARPL के प्राधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता/बंधककर्ता/सह-उधारकर्ता से नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया। एतद्द्वारा प्राधिकृत अधिकारी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को बेचने का इरादा रखता है और इसलिए सुरक्षित संपत्तियों की खरीद के लिए निविदाएं/बोलियां सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं। संपत्ति को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) और (4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों के आधार पर बेचा जाएगा; "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के" संबंधित ऋणी और सह-ऋणी(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता के रूप में OARPL को देय राशि की वसूली के लिए संबंधित कॉलम में दिखाया गया है। ऋणी(ओं)/गारंटर/बंधक, प्रतिभूतियाँ, मालिक, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए नोटिस की तिथि, कब्जे की तिथि, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि राशि, बयाना राशि जमा (EMD), निरीक्षण की तिथि और समय का विवरण निम्नानुसार दिया गया है :

स. क्र.	ऋणकर्ता (ओ)/ जमानतदार/मार्टगेजर	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	संपत्ति का मालिक	16.12.2024 तक बकाया राशि (रु. में)	मांग पत्र दिनांक	कब्जा दिनांक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	बिड वृद्धि राशि (रु. में)	ईएमडी (रु. में)	निरीक्षण दिनांक एवं समय
1.	नारायणदास एंड संस (उधारकर्ता) प्रोप: अर्जुनदास संगतानी, अर्जुनदास संगतानी (मालिक, गारंटर और बंधककर्ता), अनीता ए संगतानी (गारंटर और बंधककर्ता) और गोविंद ए संगतानी (गारंटर)	प्लॉट नं. 46 सहित मकान का वह पूरा टुकड़ा। ब्राइट कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.), भूमि जिसका माप 20×50 कुल 1000 वर्ग फीट (बिक्री विलेख के अनुसार) है और उस पर मौजूदा और भविष्य का निर्माण तथा निम्नानुसार सीमाएं: पूर्व: प्लॉट नं. 62 और 63 पश्चिम: सड़क उत्तर: प्लॉट नं. 45 दक्षिण: मकान नं. 46-47ए।	अर्जुनदास संगतानी. और अनिता ए संगतानी	रु. 1,02,17,399.47 (रुपये एक करोड़ दो लाख सत्रह हजार तीन सौ निन्यानवे और पैसे सैंतालीस मात्र)	09-08-2022	28.06.2024 (भौतिक)	रु. 54,00,000/- (रुपये चौवन लाख मात्र)	रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	रु. 5,40,000/- (रुपये पांच लाख चालीस हजार मात्र)	30-12-2024 (सुबह 11:00 से दोपहर 01:00 तक)

खाता संख्या: 344905001084, लाभार्थी का नाम: ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट, बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक, शाखा: बांद्रा (ई) मुंबई, आईएफएससी कोड: ICIC0003449

ई-नीलामी की तारीख और समय- 09.01.2025 12:00 से 02:00 बजे तक | भागीदारी का बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 07.01.2025 शाम 6:00 बजे तक

नीलामी के नियम और शर्तें: बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता (ओएआरपीएल) http://omkaraarc.com/auction.php या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauction.com.पर दिए गए लिंक को देखें।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के तहत बिक्री के लिए वैधानिक सूचना

यह नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता को कम से कम 30 (तीस) दिनों का एक अनिवार्य नोटिस है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री आयोजित करने के बारे में सूचित किया गया है। भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विवेक पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी माध्यम से बेची जाएगी।

दिनांक : 18.12.2024
स्थान : भोपाल

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)